

No.Ft. 48-1747/2008 (FCA),
Forest Department, Himachal Pradesh.

From: Nodal Officer-cum-Addl.Pr.CCF (FCA),
O/o Pr.CCF, HP Shimla-1.

To: The Addl.Pr. Chief Conservator of Forests (Central)
Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment & Forests,
Pearson Road, FRI Campus, P.O. New Forests,
Dehradun-248006.

28 DEC 2015

Dated Shimla-1, the

Subject:- Diversion of 1,634 hectares of forest land in favour of M/s Shakti Hydro Electric Company Ltd., 204 Madan Lal Chowk Asiad Village Khel Gaon, New Delhi for the construction of approach road to 3.5 MW Project, Laying of Transmission Line & Drift within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

Sir,

Kindly refer to your office letter No. 8-HPB/06/42/2015/1553 dated 10.10.2015 on the subject cited.

2. The pointwise reply of the observations raised vide your above referred letter is furnished as under:-

1. In this regard it is informed that at the time of the survey of the proposal, the UA had discussed the matter with the local bodies (Gram Panchyat) & they have reported that the link road proposed by Gram Panchyat but the local bodies could not complete the formalities under FCA 1980. Hence now the user agency has proposed to construct this road & submitted the proposal for additional forest land for the road. It is also submitted that the stipulation contained in 1.2228 ha in which Stage-I clearance was accorded, will be deposited alongwith the additional required land 1.634 ha for the construction of road, Drift & transmission line has now been uploaded on the web site of GOI, MoEF.
2. Fresh copy of the NOC from local for additional area of forest land is attached.

Reply of the EDS

1. A digital map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for diversion & forest land proposed for CA alongwith soft copy of the same is attached herewith.
2. FRA Certificate issued by District Collector as per format prescribed with all enclosures is attached herewith.
3. The muck dumping plan is attached.
4. Copy of evacuation plan approved by HP Power Transmission Corp. Ltd is attached.
5. Copy of the length and width of proposed road through forest land and non- forest land alongwith resultant area and bar chart is attached.
6. Transmission line is 33kv, copy of ROW through forest land and non- forest land alongwith detail of no of poles to be erected on forest land, non -forest land is attached.
7. Recommendations of DFO and CF have been uploaded on the portal.

Yours faithfully,

Nodal Officer-cum-APCCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla.

Encl: As above.

FORM-I
(for projects other linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/SR/LRC/2015-

Dated Mandi, the

26/11/

2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 02.8568 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. for the construction of **Shakti Hydro Electric Project** in Mandi district falls within jurisdiction of Muhal Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, noun, DPF Mahithana, Behari, Badhu, Bassa in Tehsil Chachiot.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02.8568 hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I to V**.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers, who are eligible under the FRA.

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out, and that they have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Muhal Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, noun, DPF Mahithana, Behari, Badhu, Bassa villages(s) is enclosed as annexure V.

- (c) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

Encl.: As above.


Collector
(Sandeep Kadam, IAS)
District Collector,
Mandi District Mandi.

**OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), CHACHYOT
AT GOHAR, DISTRICT. MANDI, (H.P.)**

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Divisional Committee of Chachyot at Gohar Sub Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Mr. Dile Ram, HPAS, S.D.O.(C), Chachyot at Gohar on dated 31-03-2015 at 03.00 P.M. at Chachyot at Gohar in which the application(s) of the applicant(s) of **Shakti Hydro Electric Co.,** (Name of the applicant) **Muhal Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, Noun, DPF Mahithana, Behari, Badhu, Bassa,** claiming rights in **02.8568 Hectares,** forest area(s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Muhal Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, Noun, DPF Mahithana, Behari, Badhu, Bassa,** were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No.	Name of the applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1.		Nil.....	
2.		Nil.....	

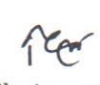
Claims of the following applicants were not found in order and rejected:-

Sr. No.	Name of the applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1.		Nil.....	
2.		Nil.....	

As informed by **Muhal Sabha Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, Noun, Behari, Badhu, Bassa,** no application was received claiming rights in **Muhal Shalla, Sandoa, Barjohru, Pathan, Noun, DPF Mahithana, Behari, Badhu, Bassa,** Forest area.

Place: Gohar

Date: 31-03-2015.


 S.D.O. (C) Gohar, Chairmanship/Chairpersonship
 SDLC, Chachyot at Gohar, Distt. Mandi, H.P.
Distt. Mandi (H. P.)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति शाला
 मुहाल सभा- शाला
 ग्राम पंचायत- शाला
 प्रतिलिपि प्रस्ताव,

परत का संख्या 2

दिनांक 13/5/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा शाला की बैठक आज दिनांक 13/5/14 को 11 AM बजे स्थान शाला में श्री/श्रीमति कीर्ति देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें शाला मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के परस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- N/A

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
.	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

निरस्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
.	<u>N/A</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

शाला मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान शाला

दिनांक

13/5/14

Barla Devi

वन अधिकार समिति

Breena Devi

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- शाला

ग्राम पंचायत- शाला

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।
शक्ति हाइड्रो से के चयन 3.5 MW SHP के निर्माण हेतु भूमि उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम- शाला
ग्राम पंचायत का नाम- शाला
मुहाल सभा सदस्य संख्या- 400
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या 214

प्रतिलिपि प्रस्ताव

मुहाल संख्या २

मुहाल सभा शाला की बैठक आज दिनांक 13/5/14
को 10 बजे स्थान शाला में श्री/श्रीमति बीजा देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें शाला मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्यौरा-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

तपश्चात् में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
<u>1</u>	<u>1</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल शाला में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान शाला
दिनांक 13/5/14

Shalika
(पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा- शाला
ग्राम पंचायत- शाला

2401

1976 2

Figure 1

1947-1948 217 0 42 4150

शाळा (शेरपूर)

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

Abstract

1029100 ✓ 40 20 100

शक्ति एडिटर, 13/5/14

4. चरमो 235 MW के निम्न स्तर सिस्टम निर्माण व Weir निर्माण-शाला प्रो. 0.7217 hac.

0.7217 kcal.

प्रयोग की प्रकृति के लिए सहजता से प्रमाण कर रहे हैं।

0.1217

0-140000-5 (1994) 240 pp. \$29.95. ISBN 0-14-000000-5.

प्रश्न

무려다, 99.1%

62210

Beera De

013146 3-01954 400

अध्यक्ष वन सचिनी
खाला मुहला

Spina

अनुरक्षित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- संदोआ

ग्राम पंचायत- आला

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या- ४ (दि)

दिनांक 13/5/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा संदोआ की बैठक आज दिनांक 13/5/14 को 10 बजे स्थान संदोआ में श्री/श्रीमति के. डब्ल्यू. राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें संदोआ मुहाल के अनुरक्षित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दरतावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन-

कोई नहीं

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	—	—	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।
परिणत में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
—	—

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

संदोआ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक 13/5/14

प्रतिपा
वन अधिकार समिति

प्रतिपा

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- संदोआ
ग्राम पंचायत- आला

ग्रामवासी/ग्रामम वासियों के नाम जिहोने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

शक्ति हाइड्रो के के चर्या 235 SHP के निगमन हेतु

Annexure-II

अनुरूधित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम-	संदोआ
ग्राम पंचायत का नाम-	शाला
मुहाल रागा सदस्य संख्या-	172
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या-	91

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

मुहाल सभा संदोआ की बैठक आज दिनांक 13/5/14 को 10 बजे स्थान संदोआ में श्री/श्रीमति केशव राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें संदोआ मुहाल के अनुरूधित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अर्न्तगत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	-	Nil	Nil

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

तपरोका में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
-	Nil

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल संदोआ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान 13/5/14

P. P. P.
(पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल रागा-
ग्राम पंचायत-

1-414121-9 2000

गोहर

1544

24051

$$E_0^{\text{H}}(H_0^{\text{H}})^{-1} = \delta_{ij} \quad (2.10)$$

1000000

9/172

1315/14
2.

Page 2.

જોડે 3'SMW SHP

Journal of Interpersonal Violence

0. 28/0

... अर्थशास्त्र की आकृति के लिए सम्मानित प्रदान किया है।

✓
गर्हित हाइड्रो ० RT L व
वन गाने

वन मालि

ਗਾ.ਰ. ਰਾਮਾ ਸੰਦੀਆ

ଆମର ବିଷୟ

विद्युत चक्र २५५ (५)

हार्डि प्रेज़ेन्ट कराने हेतु

49

কোম্পানি ২২৭

संदर्भ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

0.28/0

ACCEPTED FOR PUBLICATION 10/10/2016

मार्गों की मरम्मत के लिए सरकारों को धन देना चाहिए।

[illegible][illegible]

लेखकों द्वारा उपयोग के लिए आम तौर पर

संदी 311

2025年11月11日

4211c.

विज्ञान

419,000 25,184,459

अध्यक्ष मुहल-संग
संदीप

सं दी आ

Spencer

① (बजरोहड़)

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- बजरोहड़

ग्राम पंचायत- ४०९

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 30/6/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा बजरोहड़ की बैठक आज दिनांक 30/6/14 को 11 बजे स्थान बजरोहड़ में श्री/श्रीमति रमेश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें बजरोहड़ मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारो के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारो के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावो का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु महाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

बजरोहड़ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान
दिनांक 30/6/14

सचिव
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- बजरोहड़
ग्राम पंचायत- ४०९

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिहोंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम-	वजरोहड़
ग्राम पंचायत का नाम-	मैथ
मुहाल सभा सदस्य संख्या-	70
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या-	37

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल सभा वजरोहड़ की बैठक आज दिनांक 30/6/14 को 11 बजे स्थान वजरोहड़ में श्री/श्रीमति रमेश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल वजरोहड़ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान 30/6/14

रमेश कुमार

(पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा-
ग्राम पंचायत-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
 ग्राम सभा मुहल बजरोहट जिला मण्ड (हि0प्र0)
 विकास खण्ड गोहर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 31/70दिनांक 30-1-14प्रस्ताव संख्या 1

विषय शक्ति हाइड्रो को प्रतु विभाग/संस्था को 3.5 MW चर्चा
लघु विद्युत के चैनल के निर्माण हेतु चलाह
 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1014 हैक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा बजरोहट की बैठक आज दिनांक 30/1/14 को 12
 बजे स्थान बजरोहट विभाग/संस्था को शक्ति हाइड्रो को
 के निर्माण हेतु चलाह जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने
 पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरा तरह
 समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन
 भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों पर निपटारे पर भी चर्चा की गई
 तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों
 के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित
 हैक्टेयर भूमि को 0.1014 चर्चा 3.5 MW निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा
बजरोहट की सहमति दी जाती है।

स्थान.....
 दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा बजरोहट
अध्यक्ष मुहल
बजरोहट

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- पडाण

ग्राम पंचायत- जोय

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1.....

दिनांक 24/6/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा पडाण की बैठक आज दिनांक 24/6/14 को 1 11 बजे स्थान पडाण में श्री/श्रीमति पुष्प रत्ना की अध्यक्षता में की गई जिसमें पडाण मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- 1

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
	<u>1</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

पडाण मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान पडाण
दिनांक 24/6/14

सचिव मानव
ग्राम पंचायत जोय
ग्राम पंचायत जोय

अध्यक्ष पुष्प रत्ना
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- पडाण
ग्राम पंचायत- जोय

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम-	पटौज
ग्राम पंचायत का नाम-	पटौज
मुहाल सभा सदस्य संख्या-	117
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या-	67

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल सभा पटौज की बैठक आज दिनांक 24/6/14 24/6/14 को 12 बजे स्थान पटौज में श्री/श्रीमति पुष्प राज की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अर्न्तगत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल पटौज में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान 30/6/14

Jeshdeep

(पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा- पटौज
ग्राम पंचायत- पटौज

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
 ग्राम सभा पहाण जिला मेरठ (हि0प्र0)
 विकास खण्ड गोहर

प्रतिलिपि प्रस्ताव
 गणपूर्ति 67/117

दिनांक 24/1/14

प्रस्ताव संख्या 2

विषय शान्ति हाईड्रॉ कंजिग व. पोस्टल विभाग / संस्था को पेज 2 की 3.5mw
को नहर (चैनल) के निर्माण हेतु पहाण
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0943 हैक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

महल पहाण की बैठक आज दिनांक 24/1/14 को 12
ग्राम सभा पहाण विभाग / संस्था को 3.5mw विद्युत परियोजना के
वजे स्थान पहाण जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित
नहर (चैनल) के निर्माण हेतु पहाण
0.0943 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने
 पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह
 समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन
 भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों पर निपटारे पर भी चर्चा की गई
 तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों
 के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित

हैक्टेयर भूमि को 0.0943 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा पहाण
की सहमति दी जाती है। चैनल 2.5HP 3.mw

स्थान
 दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 मुखल ग्राम सभा पहाण
अध्यक्ष मुखल (ग)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- नीच

ग्राम पंचायत- नीच

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1.....

दिनांक.....28/7/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा नीच की बैठक आज दिनांक 28/7/14 को 10 बजे स्थान नीच में श्री/श्रीमति क. हन्या की अध्यक्षता में की गई जिसमें नीच मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- —

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
<u>—</u>	<u>—</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

नीच मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....

दिनांक 28/7/14

सचिव —
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत नीच
तहसील नीच जिला हिमाचल

अध्यक्ष —
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- नीच
ग्राम पंचायत- नीच

ग्रामवासी/ग्रामम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम- श्री
 ग्राम पंचायत का नाम- श्री
 मुहाल सभा सदस्य संख्या- 143
 सभा में उपस्थित सदस्य संख्या- 75

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2दिनांक 28-7-14

मुहाल सभा श्री की बैठक आज दिनांक 28-7-14
 को 11 बजे स्थान श्री में श्री/श्रीमति महेश्वरी की अध्यक्षता में की गई जिसमें
श्री मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता
 अधिनियम 2006 अर्न्तगत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन
 अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन- 2

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
<u>1</u>	<u>श्री</u>	<u>श्री</u>	<u>श्री</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/वन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
<u>2</u>	<u>श्री</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल श्री में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक 28/7/14

हस्ताक्षर श्री
 पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव
 ग्राम पंचायत-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा महल नौण जिला मण्डो (हि0प्र0)
विकास खण्ड गोहर

गणपूर्ति 15/143 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 28-7-14

प्रस्ताव संख्या 2

विषय शक्ति हाइड्रो गोव वनशाला चर्चा विभाग/संस्था को 3.5mw चर्चा
SHF की चैनल के निर्माण हेतु नौण
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1088 हैक्टेयर वन भूमि व
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

महल ग्राम सभा नौण की बैठक आज दिनांक 28-7-14 को 11
... बजे स्थान नौण विभाग/संस्था को 3.5mw चर्चा SHF
चैनल के निर्माण हेतु नौण जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0.1088 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने
पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरा तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों पर निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1088 हैक्टेयर भूमि को चर्चा 3.5mw निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा नौण की सहमति दी जाती है।

स्थान नौण
दिनांक 28/7/14

✓/lun
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा नौण
अध्यक्ष महल एम0
नौण

वैद्य

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा

ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 27-7-14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

वन अधिकार समिति मुहाल सभा

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

की

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्योरा-

क्रम संख्या	पात्र गांव वारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1			

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

परमार्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क्रम संख्या	पात्र गांव वारी का नाम
1	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

वैद्य

मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक 27/7/14

सचिव

सचिव वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्रामवासी/ग्रामवासी के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

प्रस्तावित वन अधिकार समिति के सदस्यों की सूची 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम

ग्राम पंचायत का नाम

मुहाल राणा सदस्य संख्या

समा में उपस्थित सदस्य संख्या

4/1/14

1/14

51

34

प्रस्ताव प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

9

मुहाल राणा

को

बजे स्थान

की बैठक आज दिनांक

दिनांक

27/7/14

27/7/14

नार्ग-6 पाल

की बैठक में जो गई होगी

मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता

अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल राणा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदन पर यहाँ जो गई वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का बीरा-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का बीरा

तदनुसार यह मुहाल राणा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल राणा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल राणा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक

27/7/14

सचिव
राणा दापचयस
तहसील
ग्राम पंचायत

504

34/57

27-7-14.

2

27th Dec 1982
के पी स्टेशन

3.5 MW $\frac{9}{2}$ SHH

१७ वृत्ति वृत्ति

12

27-7-14. ५६१
५७ ६८३

५३५

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

0.1708

नाम- ५२५१२

दिनांक 27/7/14.

महेश्वर

बाढ़

Annexure-I

जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- बाढ़

ग्राम पंचायत- बाढ़

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1.....

दिनांक 6/6/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा बाढ़ की बैठक आज दिनांक 6/6/14 को 11 बजे स्थान बाढ़ में श्री/श्रीमति मस्तुराम की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- /

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
	<u>/</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

बाढ़ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....

दिनांक.....

सचिव

वन अधिकार समिति

अध्यक्ष Masturam

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- बाढ़

ग्राम पंचायत- बाढ़

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम— वाटु
ग्राम पंचायत का नाम— जस्ता
मुहाल सभा सदस्य संख्या— 46
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या— 25

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या— 1

दिनांक 6/6/14

मुहाल सभा वाटु

की बैठक आज दिनांक 6/6/14

को 11 बजे स्थान वाटु में श्री/श्रीमति मरुशम की अध्यक्षता में की गई जिसमें

मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन—

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल वाटु में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक 6/6/14

M. K. K. K.

(पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा— वाटु
ग्राम पंचायत— जस्ता

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा मुहल्ला बाहु जिला जोधपुर (हि0प्र0)
विकास खण्ड जोधपुर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 25/46

दिनांक 6-6-14

प्रस्ताव संख्या 2

विषय श्री श्री 600.170 ओएस विभाग/संस्था को 3.5 MW चर्चोटी की
श्री श्री क निर्माण हेतु बाहु
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित बाहु हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा बाहु की बैठक आज दिनांक 6-6-14 को 11
बजे स्थान बाहु विभाग/संस्था को 3.5 MW चर्चोटी
श्री श्री के निर्माण हेतु बाहु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने

पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पुरा तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों पर निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.5746

हैक्टयर भूमि को चर्चोटी लघु विद्युत की श्री श्री निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा बाहु की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक

Murthoo
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा बाहु
मुहल्ला (वा) बाहु बाहु

h

बासा

Annexure-I

अनुरूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- बासा

ग्राम पंचायत- बासा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 6/6/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा बासा की बैठक आज दिनांक 6/6/14 को 11 बजे स्थान बासा में श्री/श्रीमति जीवन लाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें बासा मुहाल के अनुरूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- —

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
	<u>—</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

बासा मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान बासा
दिनांक.....

जीवन लाल
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- बासा
ग्राम पंचायत- बासा

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम-	वास
ग्राम पंचायत का नाम-	वास
मुहाल सभा सदस्य संख्या-	54
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या-	37

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1.....

दिनांक 6/6/14

मुहाल सभा वास

की बैठक आज दिनांक 6/6/14

को 11 बजे स्थान वास में श्री/श्रीमति अविनाश लाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें वास मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई :-

कुल प्राप्त आवेदन- /

सही दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	/	/	/

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/दन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
	/

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल वास में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....
दिनांक.....

(सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा-
ग्राम पंचायत-

(Signature)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

महल
ग्राम सभा बासा जिला मण्डला (हि0प्र0)
विकास खण्ड डोहर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 37/54

दिनांक 6-6-14

प्रस्ताव संख्या 2

विषय शान्ति एड्स श्री. गोबिन्द शाली विभाग / संस्था को 3.5 MW चर्चो
श्री. टाशागिशान के निर्माण हेतु बासा जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.4046 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

महल

ग्राम सभा बासा की बैठक आज दिनांक 6-6-14 को 14
11. बजे स्थान बासा विभाग / संस्था को
के निर्माण हेतु बासा जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने

पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों पर निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.4046 हैक्टयर भूमि को श्री. टाशागिशान के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा बासा
अध्यक्ष महल
बासा

4

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 09.11.2015.

The following were present in the meeting:

1. Addl. District Magistrate, Mandi	Member Secretary
2. Divisional Forest Officer, Mandi	Member
3. Divisional Forest Officer, Sundernagar	Member
4. Divisional Forest Officer, Nachan at Gohar	Member
5. Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Slapper	Member

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants.

The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting.

Following proposal under FRA were put for discussion:-

Sr. No.	Name of Sub-Division	Name of Scheme
1	Sadar	Land transfer in the name of Education department for the construction of School Building in Primary School Skore
2	Sadar	Land transfer in the name of Health department for the construction of Health Sub centre Ropa
3	Sadar	Land transfer in the name of Language, Art & Culture department for the construction of Sanskriti Sadan.
4	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Maigal)
5	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Tandu)
6	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Mehar)
7	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Pakhari)
8	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Mathanuel)
9	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Laswai Khadd)
10	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Jandrola)
11	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Tarnoh)
12	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Sadoh)
13	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Khadkalyana)
14	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Mahan)
15	Sadar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Thana Plaun HEP (191 MW) (Muhai Dhalwani)
16	Gohar	Land transfer in the name of H.P. Power Corporation Ltd. For Construction of Shakti Hydro Electric Project

2. The detailed discussion and scrutiny of the proposal and documents placed on record revealed that no claim under FRA 2006 against the above said proposals have been received within stipulated period. The required documents which include certificate of FRC, Gram Sabha SDLC are enclosed with each proposal. Therefore, under the prevailing conditions the District Level Committee recommends for the issuance of FRA certificate for above proposals.

Deputy Commissioner,
Mandi District, Mandi.

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD

NO. E (SP)/PHT-39/ Chachiot (3.50MW)/10-735 Dated: - 14-5-10

To

Sh. B.S. Sangha (Director),
M/s Shakti Hydro Electric Co. Pvt Ltd.,
204, Madan Lal Block,
Asiad Village, Khel Gaon Marg,
New Delhi-110049.
FAX- 011-26816675.

Subject: - Implementation of Chachiot HEP (3.50MW) in Mandi Distt. (HP).

Dear Sirs,

An attested copy of the Transmission Master Plan of the projects proposed to be interfaced with 33/11 kV Sub-Station Gohar has already been supplied to you vide this office even letter No. 5301-03 dated 27.3.2010. However, an attested copy of the same is again supplied to you for further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

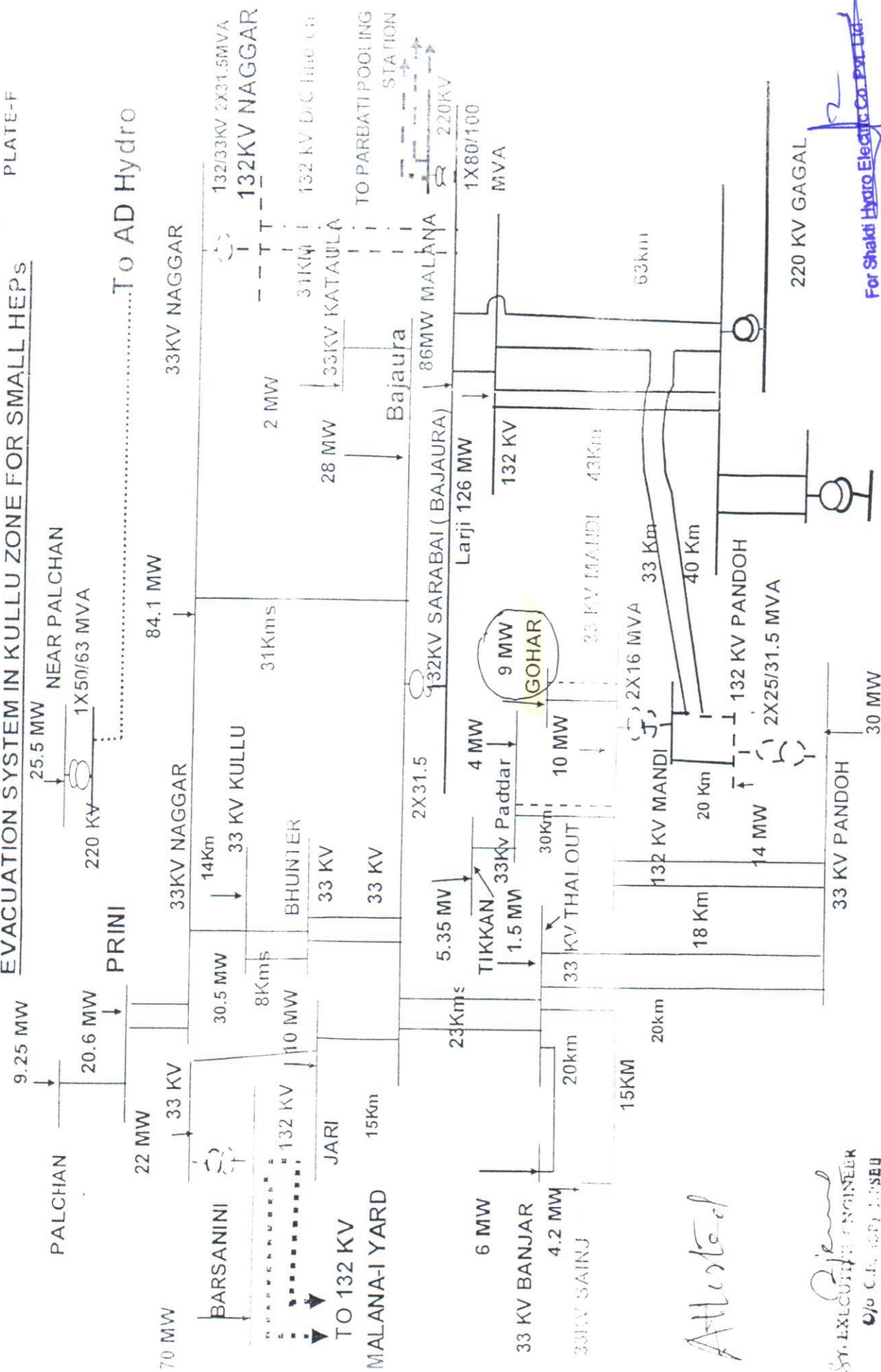
DA:- As above.

Sr. Executive Engineer
O/o Chief Engineer (SP),
HPSEB, Shimla-171004
14/5/10

For Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

Sr. No.	NAME OF INTERFACING SUBSTATION	NAME OF PROJECTS	VOLTAGE KV	ALLOTTED CAPACITY	DATE OF MOU / PPA	DATE OF IA
1	2	3	4	5	7	9
11	33 / 11 KV SUBSTATION AT SAINJ	KOTLU KARTAU	33 33	1.80 2.40	20.05.2005 01.12.2008	14.05.2003 25.07.2006
		TOTAL - 11		4.20		
12	33 / 11 KV SUBSTATION AT THALOUT	GURAHAN	33	1.50	15.03.2005	30.05.2003
		TOTAL - 12		1.50		
13	132 / 33 KV PROPOSED SUB STATION AT PANDOH	PATIKARI BAKHALI UHL KHAD SURAH SWAD PANDOH STAGE - II	33 33 132 33 33 33	16.00 4.50 14.00 1.50 5.00 3.00	21.06.2000 24.04.2007 NOT SIGNED NOT SIGNED	09.11.2001 08.08.2003 14.05.2001 14.05.2001
		TOTAL - 13		44.00		
14	33 / 11 KV SUBSTATION AT PADHAR	BALH PADHAR	33	4.00	NOT SIGNED	03.01.2008
		TOTAL - 14		4.00		
15	33 / 11 KV SUBSTATION AT TIKKAN	ROOLANG JAKHWAN SEHRI KA NALA	33 33 33	0.85 1.50 3.00	16.11.1996 23.05.2001	
		TOTAL - 15		5.35		
16	33 / 11 KV SUBSTATION AT GOHAR	GOHAR - I GOHAR - II CHACHIOT ✓	33 33 33	2.50 3.00 3.50	12.01.2005 12.01.2005 NOT SIGNED	25.02.2008
		TOTAL - 16		9.00		
17	132 / 33 KV SUBSTATION AT BIJNI (MANDI) upstream of Malana-II	LOWER UHL	132	10.00		29.12.2008
		TOTAL - 17		10.00 30		
		GRAND TOTAL		416.00		

PLATE-F



Attended

212
S.Y. EXECUTIVE ENGINEER
O/o C.P. & M. USED
SHIMLA-4

For Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

L12A

CHECK LIST NO . -----

Length and width of purposed road main Road to weir site chachiot hydro

Sr No	R .D	Forest land	Total PVT land	Total Forest land	width
1	0/420	420	-	420 mtr	5.35 mtr = 0.224 Hct
2	0/420 to 485	---	65mtr		
3	0/485 to 900	415	--	415mtr	5.00 mtr = 0.208 Hct
4	Drifh	130mtr		130	1.8 mtr = 0.028 hac
			Total = 65mtr	Total = 835 mtr	Total = 0.46 hct

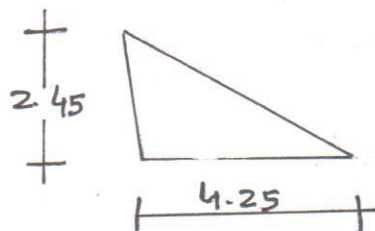
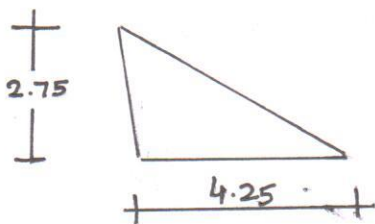
Shakti Hydro Electric
Co. Pvt. Ltd. (GPO)
P.O. Box 100, New Delhi

For Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

DETAIL OF MUCK / DEBERIES PRODUCED FROM CUTTING OF
PROPOSED ROAD

(65)

Cutting Area = $\frac{1}{2} \times 4.25 \times 2.75 = 5.84 \text{ Sqm}$ Cutting Area = $\frac{1}{2} \times 4.25 \times 2.45 = 5.21 \text{ Sqm}$
 Av. Cutting Area = $\frac{5.84 + 5.21}{2} = \underline{5.53 \text{ Sqm}}$



Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
 Co. Regd. Office: (Shakti 2, 31W)
 D-111 D. P. Road, Delhi

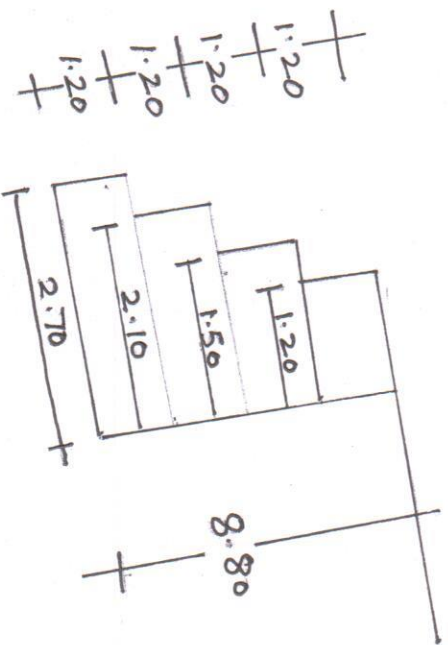
For Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

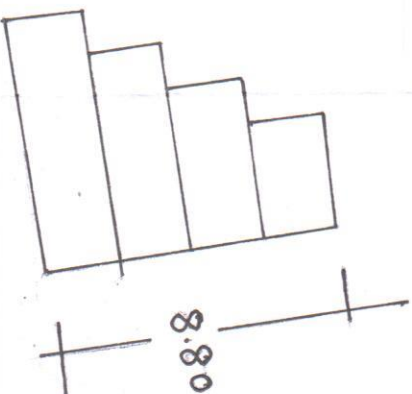
Name of work :- c/o

(SH:- c/o Cmt. wall for retain the muck of
Dumping site)

$$A/M = \frac{1}{2} \times 11.75 \times 8.80 = 47.00 \text{ sqm.}$$



X-SEC.



X-SEC.

$$\text{CAPACITY OF DUMPING SITE} = 16.00 \times 11.75 \times 8.80 = 1654.40$$

$$\begin{aligned} \text{TOTAL GENERATE OF MUCK} &= \text{KM of } 0/485 \\ &= 485 \times 5.53 = 2682.05 \text{ Cum} \end{aligned}$$

$$\text{FILLING OF MUCK} = \text{KM of } 485 \text{ To } 900 = 415 \times 4.25 + 0.60 = 1058.25 \text{ Cum}$$

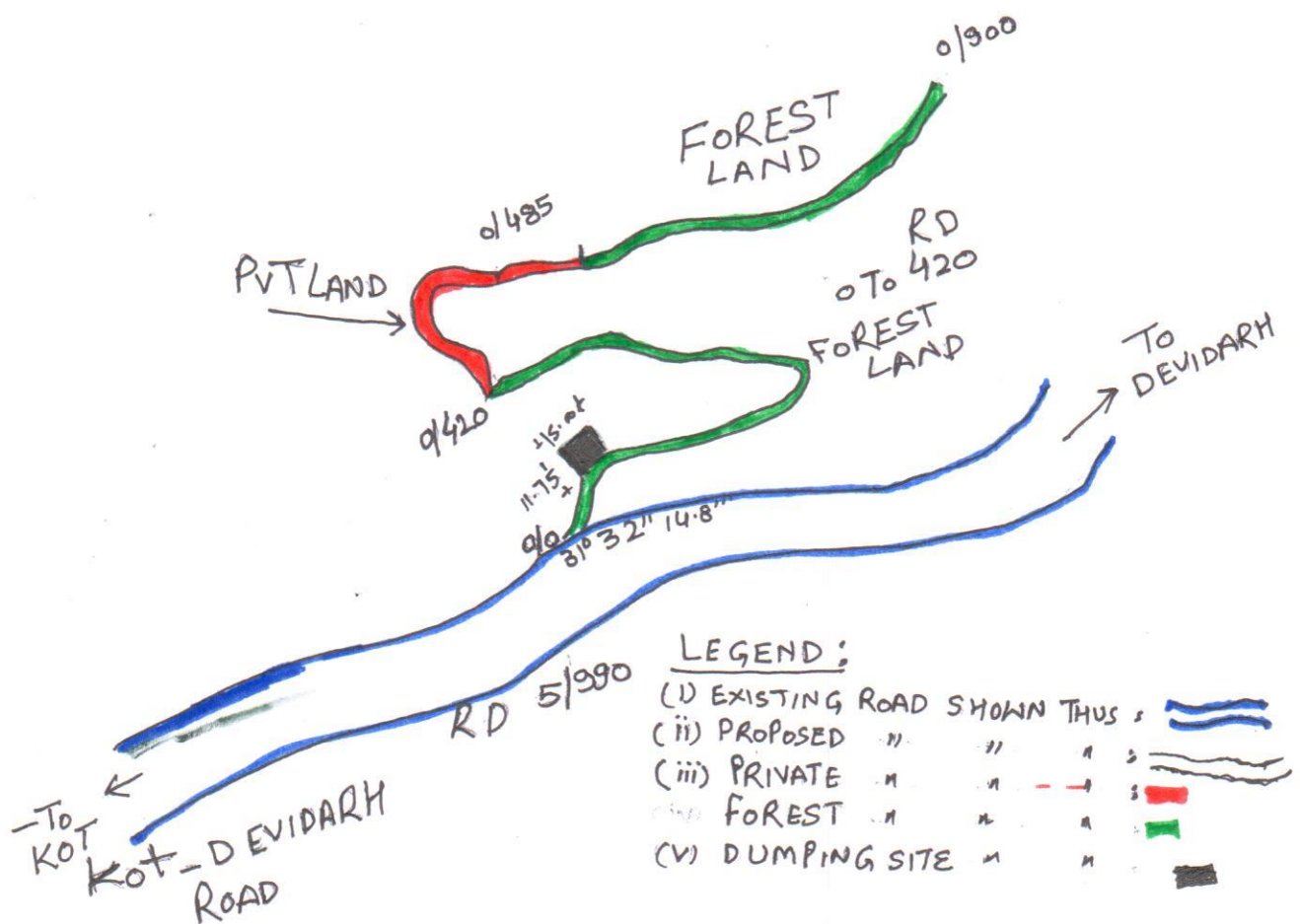
C/O MAIN ROAD TO WEIR SITE 3.5 MW CHACHIBT SHP

ROAD BAR CHART

(NOT TO SCALE)

DIVERSION ÷ KOT DEVIDARH ROAD RD 5/990 SHALLA SHERPUR TO WEIR SITE

- 1) RD. 0 TO 420. FOREST LAND
- 2) RD. 420 TO 485. PVT LAND
- 3) RD 485 TO 900 FOREST LAND



For Shallal Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

STATEMENT SHOWING ROW REQUIREMENT OF DIFFERENT KINDS OF LAND FOR 3.5 MW SHP CHACHHOT HYDROELECTRIC PROJECT TRANSMISSION LINE(33 KV) FROM VILLAGE BEHRI TO GOHAR TEHSIL CHACHHOT DISTT. MANDI (HP)

S. No.	Tower no. & type			R.O.W. Width (in mtrs.)	Length (in mtrs.)	Length of Forest Land (in mtrs)	Length of Non- Forest Land (in mtrs)	Area to be used (in sq.mt.)		Total Area be used sq.mt.
	From PH Site to Sub station	Number of Poles	Poles in Land					Forest Land	Non- Forest Land	
1	0	1	Power House/Pvt. Land	15	0	0	0	0	0	0
2	1	2	Pvt. Land	15	91.726	0	91.726	0.00	1375.89	1375.89
3	2	3	Forest Land	15	167.521	90	77.521	1350.00	1162.815	2512.815
4	3	4	Forest Land/Pvt. Land	15	186.504	144.8	41.704	2172.00	625.56	2797.56
5	4	5	Forest Land	15	247.442	200.442	47.000	3006.63	705	3711.63
6	5	6	Pvt. Land	15	100	0.000	100.000	0.00	1500	1500.00
7	6	7	Pvt. Land	15	28.402	0	28.402	0.00	426.03	426.03
8	7	8	Forest Land	15	45.507	45.507	0	682.61	0	682.61
9	8	9	Pvt. Land	15	274.05	0	274.050	0.00	4110.75	4110.75
10	9	10	Forest/Pvt. Land	15	181.005	81.005	100.000	1215.08	1500	2715.08
11	10	11	Pvt. Land	15	207.67	0	207.67	0.00	3115.05	3115.05
12	11	12	Pvt. Land	15	29.678	0	29.678	0.00	445.17	445.17
13	12	13	Pvt. Land	15	350.626	0	350.626	0.00	5259.39	5259.39
14	13	14	Pvt. Land	15	13.373	0	13.373	0.00	200.595	200.595
15	14	15	Forest Land/ Pvt Land	15	198.5	186.250	12.25	2793.75	183.75	2977.50
					2122	748	1374	11220	20610	31830

Note:-	1.	06 nos Pole in Forest Land
	2.	09 nos Pole in Private Land

For Sharda Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सैक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 21.05.2013

फाईल नम्बर:-9-HPB330/2011-CHA
सेवा में,

प्रधान सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय, शिमला।

विषय:- Diversion of 1.2228 hectares of forest land in favour of M/S Shakti Hydro Electric Company Ltd, for construction of 3.5 MW Chachiot Hydro Electric Project, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, District Mandi, Himachal Pradesh.

Ref: नोडल आफिसर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या Ft. 48-1747/2008 (FCA) दिनांक 11.05.2011 & 16.05.2013

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्रों की ओर दिलाऊँ, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विषय के लिये अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 1.2228 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम जिसमें 7-10 वर्षों के लिए पौधों का रखरखाव शामिल हो बनाकर भेजें और उसके अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट बैल्यु जमा करवाई जाये।
- भारत सरकार पत्र संख्या 12-2/2010-CAMPA दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या Himachal Pradesh CAMPA SB01025210, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ.कम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या Himachal Pradesh CAMPA SB344902010105419 युनियन बैंक आफ इण्डिया, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
- प्रस्ताव के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण 2.5 हेक्टेयर वन भूमि में करवाया जायेगा जबकि आवृत्ति के साथ प्रस्तुत किये site suitability certificate में 3.00 हेक्टेयर वन भूमि में प्रतिपूर्ति पौधारोपण करवाया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार site suitability certificate को संशोधित करके भेजें।
- Submission of an undertaking by the user agency to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
- Submission of a certificate issued by Collector -cum-District Commissioner of the district concerned that no claim under the Schedule Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2006 exists in respect of the proposed forest land.

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिये।

18/Fc
27/5/13
APCCF(FCA)
24/5/13

भवदीय
(ईश्वर सिंह)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)
Aset



कार्यालय ग्राम पंचायत... २११०॥

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक ०९.११.२०१५ ग्राम पंचायत/ग्राम सभा २११०॥

की मासिक बैठक/विशेष बैठक/प्रधान/उपप्रधान श्री राज कुमार

की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थिति ०६/०६ रही।

प्रस्ताव संख्या ०८ चचचौट हाइड्रो परियोजना द्वारा ड्रालमिशन लाईन, सड़क, ड्रिफथ निर्माण कार्य पर अनुमति और विचार।

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेखित विषय कि ग्राम पंचायत शाखा चचचौट हाइड्रो परियोजना के अंतर्गत ड्रालमिशन लाईन, सड़क, ड्रिफथ का कार्य करवाना चाहती है। जिसके निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के अनुमति लेना चाहती है। इस परियोजना के चलते पट्टे में लोगों को रोजगार मिलेगा।

वर्षा उपरान्त उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस निर्माण कार्य को परियोजना द्वारा किया जाए। ग्राम पंचायत को इस निर्माण में कोई आवेष्टि नहीं है। वार्षिक निर्माण करने की सिफारिश करती है।

प्रस्ताव सर्वमान्य है।

The President
Gram Panchayat Shah
Tah. Chachiot Dist. Mandi (H.P.)

मुताबिक अभिलेख प्रमाणित।
Selling 09/11/15

C.P. Shah
Chachiot, Dist. Mandi

D.VI-15M)/Nachan(FCA) 10429.
H.P. Forest Department.
Dated Mandi, the 12-12-2014.

To:- C.F. Mandi.

To:-Nodal Officer -cum APCCF (FCA)
O/o Pr. CCF (HoFF) H.P. Shimla.

Subject: - Diversion of forest land of 1.634 (Instead of 0.46ha) favour M/S Shakti Hydro Electric Company Pvt. Ltd,site office at VPO Shalla Tehsil Chachiot, District Mandi for the construction of approach road from main road Kot Devidarh at Shalla Sherpur to 3.5MW SHEP at Shalla weir site laying of Transmission line & Drift with in the jurisdiction of Nachan Forest Division District Mandi, H.P.

Kindly refer to your office memo. No Ft. 48-1747/2008 (FCA) dated 27-12-2013 on the subject cited above.

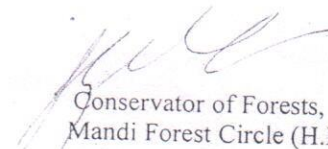
In this regard it is submitted that the observations raised by your office vide memo under was endorsed to DFO Nachan for attending the same. Now DFO Nachan has intimated to this office that User Agency requires 1.634 ha of forest land instead of 0.46 ha as demanded earlier. DFO Nachan has further reported that earlier the transmission line was proposed on private land, but the User Agency has now proposed the Transmission Line on the forest land due to the reason that in case it is routed through the private land. It will involve many residential houses and cultivated land therefore in order to avoid public loss, the Transmission line has now been proposed over the forest land. Beside it, Drift (Tunnel) has also been proposed due to the same reasons as explained against the transmission line above. User Agency has obtained the Non-availability certificate from the competent authority in this regard appearing at page 46. The observation as pointed out by your good office have been attended by the DFO Nachan and User Agency which is replied as under:-

1. The User Agency has reported that it is difficult to establish the Project for want of road connectivity to approach the project site in carrying the Project materials. Therefore necessity of submission of the proposal for the road was felt and therefore, the stipulation contained in the GoI letter in which 1st stage clearance was accorded was kept in abeyance. In addition to it, DFO Nachan has further reported that the requirement of 1.634 ha of forest land instead of 0.46 ha for the laying of transmission line, construction of approach road and Drift (Tunnel) is in addition to the requirement of 1.228 ha of forest land for which 1st stage clearance has been accorded by the competent authority for the construction of 3.5MW SHEP.
2. In this regard DFO Nachan has reported that User Agency has applied for the FRA certificate from the competent authority as and when the FRA certificate received in this office the same will be submitted to your good office. The User Agency has given an undertaking in this regard which is placed at page 54.
3. DFO Nachan has reported that the requirement of proposal has been examined in view of the implied instructions and found that the proposed trees are minimum and unavoidable.
4. The CA Scheme has been revised in which Maintenance has been proposed for 7 years in stead of 10 years.
5. The reason for rejecting the alternative routes I & II have been given along with number of trees placed at page 73 & 74.
6. Length & Width of road/ Transmission line has been placed in the proposal folder at page 42-A as CheckList.23 & Page (42-D)
7. GPS Co-ordinates of the proposal are given as under:-

Name of Location / Station	Latitude	Longitude	Elevation
Approach road at Shalla	31° 32' 18.18" North	77° 02' 57.64" East	1491
Behri Power House	31° 33' 48.73" North	77° 01' 28.74" East	1303
Badhu Transmission Line	31° 34' 04.66" North	77° 10' 51.78" East	1270
Gohar 33 KV. Sub-Station	31° 34' 52.69"	77° 02' 22.22"	1232

9
DFO Nachan has further reported that User Agency has already confirmed from the Executive Engineer, HPPWD Division Gohar vide his letter No PW-GHR-WA Forest case /2014 7262-63 dated 20-9-2014 placed at page 84 in each proposal folder, the PWD has no proposal for construction of road in the proposed alignment from Kot Devidarh road i.e. from Sharpur to 3.5 MW SHEP weir site at Shalla

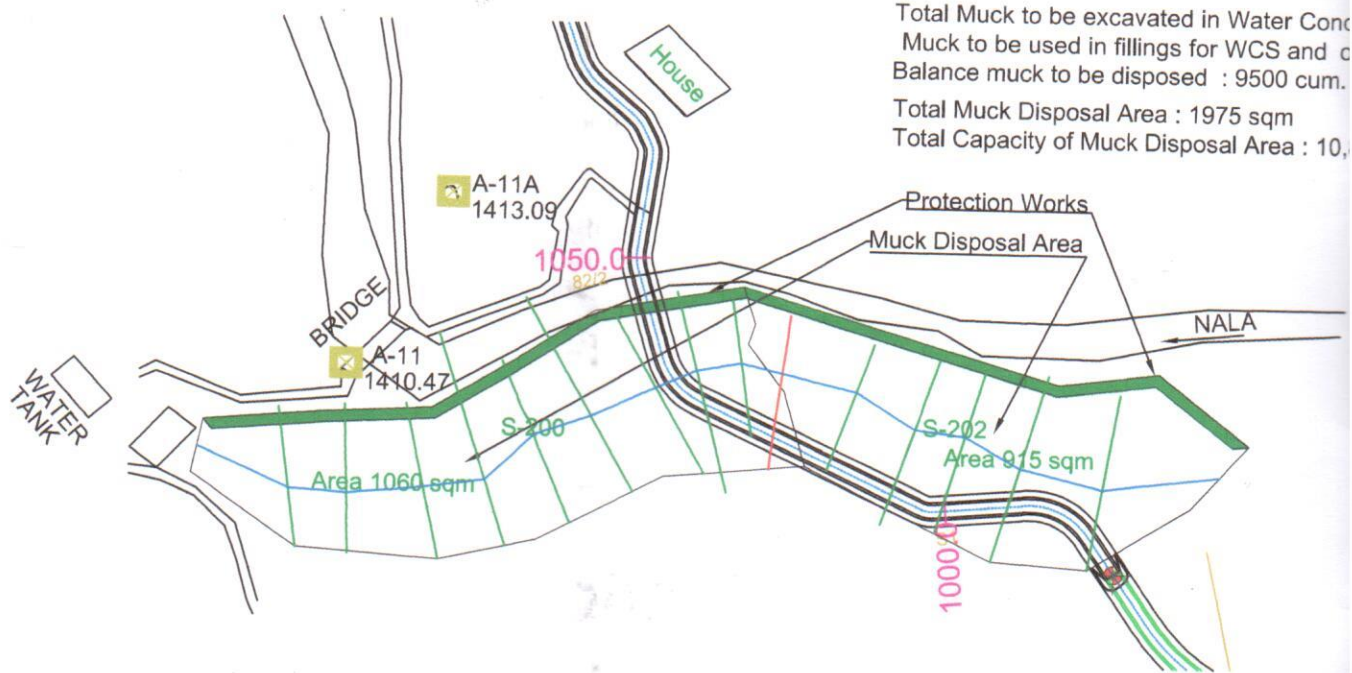
The proposal folders (2 Nos) received vide memo under reference as per check lists are re-submitted for appropriate necessary action please.
Encl: Proposal folders


Conservator of Forests,
Mandi Forest Circle (H.P.)

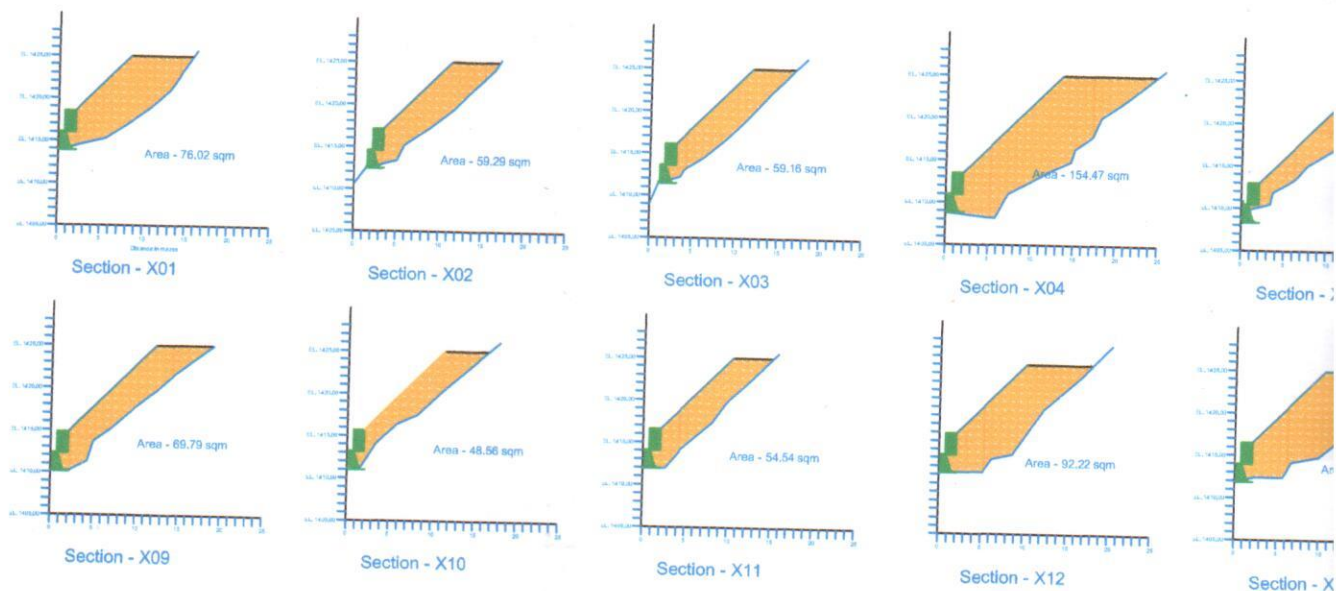
Endst. No. _____ Dated Mandi, the _____

Copy is forwarded to DFO Nachan with reference to his office memo. No.6219 dated 04-12-2014 for information and necessary action. He is requested to ask the User Agency that FRA certificate on new format be obtained from the competent authority and send the same to the higher authority under intimation to this office.


Conservator of Forests,
Mandi Forest Circle (H.P.)



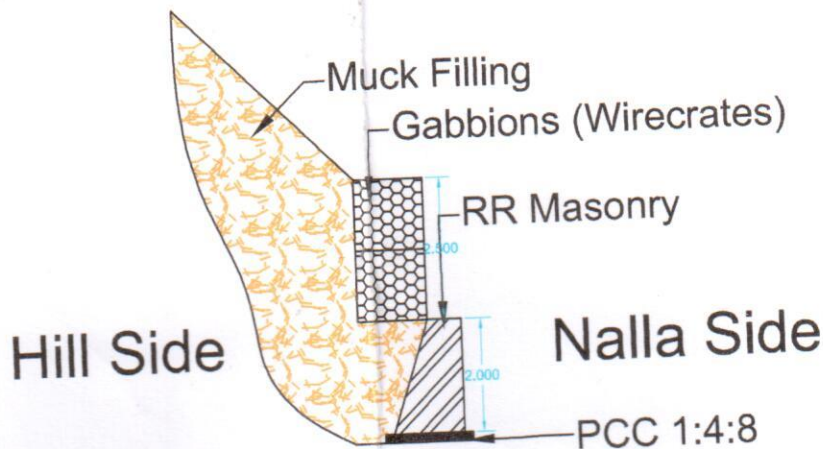
Muck Disposal Plan



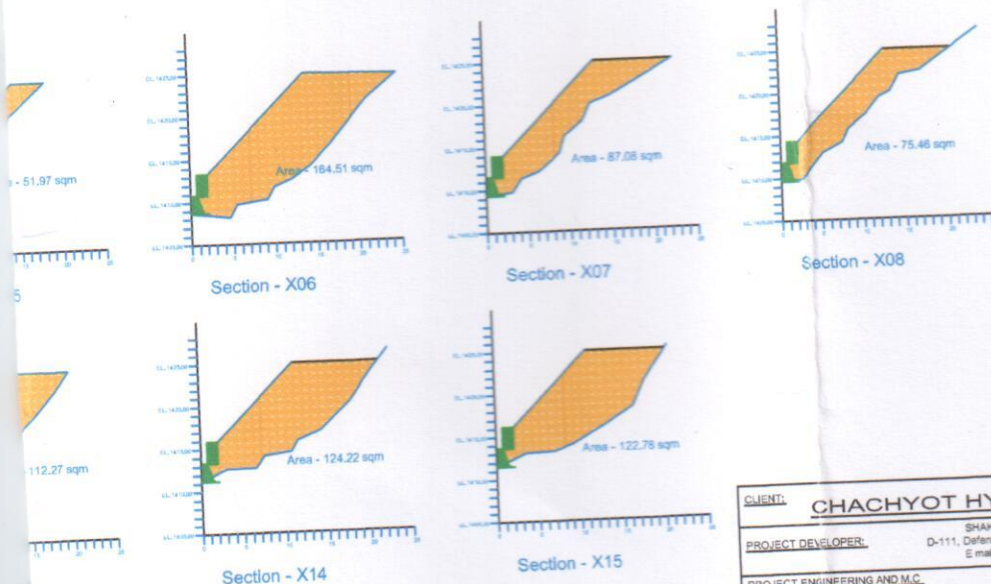
For Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.
 Authorized Signatory

Sections at Muck D

ng Channel/ Drift : 14500 cum
areas : 5,000 cum.



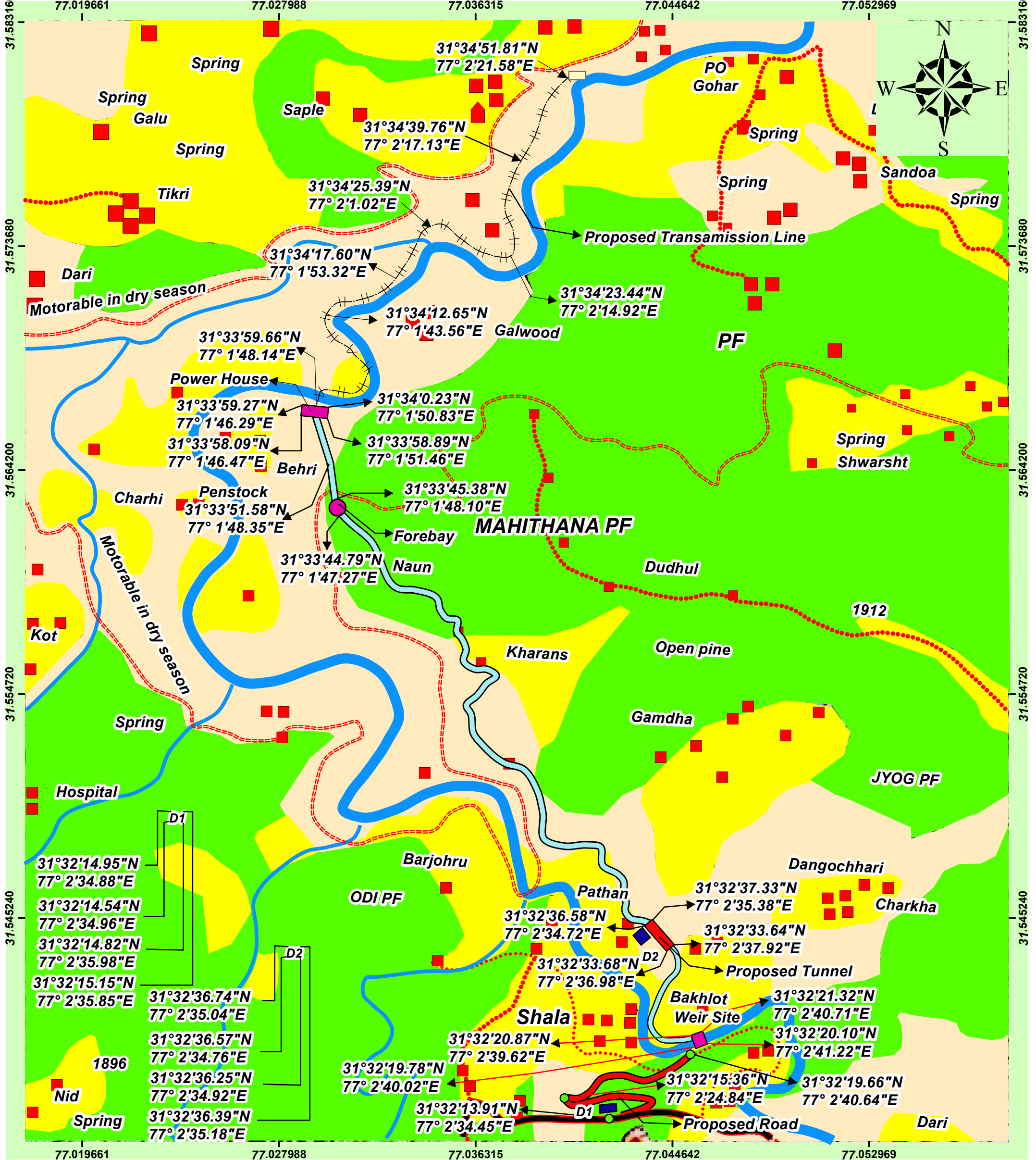
Protection Works at Muck Disposal Area



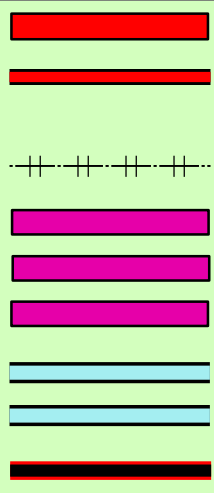
isposal Area

CLIENT: CHACHYOT HYDRO ELECTRIC PROJECT				
PROJECT DEVELOPER: SHAKTI HYDROELECTRIC CO. PVT. LTD. D-111, Defence Colony New Delhi- 110024, Ph 011-40581605 E mail : headoffice@shakthydro.com				
PROJECT ENGINEERING AND M.C. Sareal Nirmulika Pvt Ltd, 10/6, Palm Road, Shipra Suncity, Valbhavikhand, Indrapuram, Ghazlebad- 201014, Tel: +91-9971391580 E mail : varshanter@sarealnirmulika.com		PRINCIPAL DESIGNER: DMR Hydroengineering & Infrastructure (P) Ltd, 473, Sector 30, Faridabad, Haryana - 121003, Tel: +91-9891770473, 9818426517 E mail : somtital1962@gmail.com		
PROJECT: CHACHYOT HYDRO ELECTRIC PROJECT				
DRAWING TITLE: MUCK DISPOSAL PLAN				
General Notes: 1. All Dimensions are in meters. 2. Only written dimensions to be followed. 3. Dimensions not to be measured by scale on the drawing as these may not be accurate.				
DRWN	CHKD	APPD	DATE	
V K Srivastava				
DRAWING NO. CHEP/BNPL/MKDSP/GEN/001			SHEET NO. 1/1	
			REV. 0	
			FORMAT	

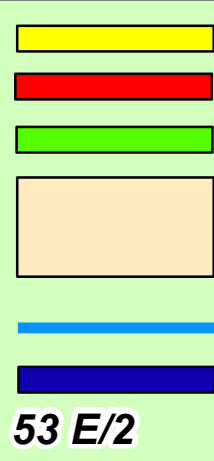
Land Use Map of Proposed 3.5MW Chachiot SHEP Distt. Mandi H.P



Proposed Tunnel
Proposed Road
Proposed Transamission Line
Weir Site
Forebay
Power House
PenStock
W.C.S
Existing Road

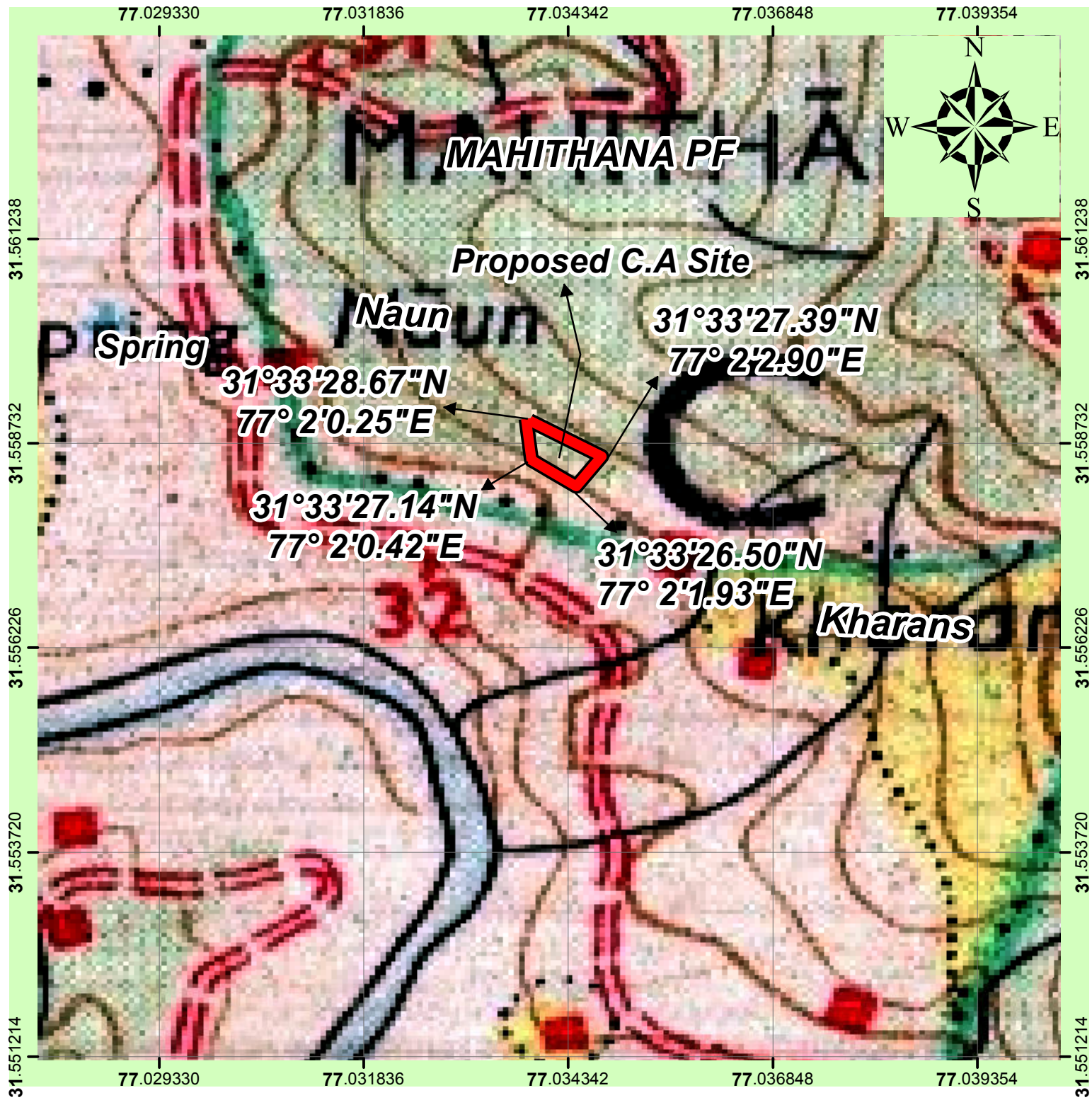


Private Land
Builtup Structure
Forest Land
Open Land, Scrub,Grass,
Waste Land
Water Body
Dumping
Topo Sheet No.



53 E/2

Digital Map of Proposed C.A Site of 3.5MW Chachiot SHEP



Proposed C.A Site —

Water Body —

TopoSheet No. **53 E/2**